

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

7. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
8. प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ।
9. प्रबंध निदेशक, उ.प्र. वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

1500
24-11-15

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 19 नवम्बर, 2015

विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन संबंधी संगत शासनादेश के साथ संलग्न नियमावली में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत हैं कि औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6) के शासनादेश संख्या-1262/77-6-12-8(एम)/12, दिनांक 07.09.2012 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 प्रख्यापित की गयी है। उक्त नीति के प्रस्तर-5.6 "उपादान योजनायें"- शीर्षक के अन्तर्गत नयी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न उपादान योजनाओं के लाभ अनुमन्य किये गये हैं।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6 में उल्लिखित उपादान योजनाओं के लाभ नयी औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली इकाइयों को भी अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-5.6 में संशोधन के संबंध में शासनादेश संख्या-175/77-6-15-16(एम)/14 दिनांक 10.02.2015 सपठित शासनादेश संख्या-786/77-6-15/16(एम)/14 दिनांक 02.06.2015 निर्गत किये गये हैं। उक्त के परिणामस्वरूप पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि के निर्धारण संबंधी शासनादेश संख्या 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012 के साथ संलग्न नियमावली के आंशिक संशोधन के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1420/77-6-12-09(एम)/2015 दिनांक 16.10.2015 के परिप्रेक्ष्य में औद्योगिक संगठन/संस्था से प्रत्यावेदन/सुझाव प्राप्त हुए। उक्त सुझावों पर विचार करते हुए शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त शासनादेश संख्या- 1420/77-6-12-09-(एम)/2015 दिनांक 16.10.2015 को तात्कालिक प्रभाव से निरस्त करते हुए, एतद्द्वारा मूल शासनादेश दिनांक 30.11.2012 के साथ संलग्न नियमावली के संगत निम्न अंशों को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


प्रस्तर	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
प्रस्तावना	पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012	पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012
	प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि	प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैनुफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश

	<p>किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6.1 के अंतर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों औद्योगिक इकाइयों को शिड्यूल्ड बैंकों/केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना हेतु प्लाण्ट एवं मशीनरी के लिए स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।</p> <p>उपरोक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी।</p>	<p>नीति-2012 के प्रस्तर-5.6.1 के अंतर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को शिड्यूल्ड बैंकों/केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों हेतु प्लाण्ट एवं मशीनरी के लिए स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।</p> <p>उपरोक्त योजना नई तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेट्स निर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी।</p>
<p>बिन्दु संख्या-2.</p>	<p>योजना की अवधि एवं पात्रता</p>	<p>योजना की अवधि एवं पात्रता</p>
	<p>इस योजना के अंतर्गत वे नई औद्योगिक इकाइयों पात्र होगी जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। 5 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।</p>	<p>इस योजना के अंतर्गत वे नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली वे औद्योगिक इकाइयों पात्र होगी जिन्हें मूल शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो।</p> <p>5 वर्षों की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।</p>
<p>बिन्दु संख्या-4.</p>	<p>परिभाषाएं</p>	<p>परिभाषाएं</p>
	<p>(1) इकाई का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात किया गया हो।</p>	<p>(1) इकाई का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी औद्योगिक इकाई तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ मूल शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात किया गया हो।</p> <p><u>विस्तारीकरण- करने वाली इकाई का तात्पर्य ऐसी</u></p>

		इकाई से है जिसके द्वारा विस्तारीकरण के ठीक पूर्व भूमि, भवन, प्लांट, मशीनरी एवं स्पेयर पार्ट्स एवं कैपिटल गुड्स में किये गये निवेश का न्यूनतम 25 प्रतिशत अतिरिक्त पूंजी निवेश उपरोक्त मदों में किया जाए तथा विस्तारीकरण से पूर्व की अधिष्ठापित क्षमता में न्यूनतम 25 प्रतिशत की वृद्धि की जाए। <u>विविधीकरण-</u> करने वाली इकाई से तात्पर्य ऐसी औद्योगिक इकाई से है जिसमें विविधीकरण के पश्चात् पूर्वोत्तर निर्माण किए गए माल से भिन्न प्रकार के माल का निर्माण किया जाता हो तथा जिसमें अवक्षयण (डिप्रीसिएशन) के लिए व्यवस्था किए बिना ऐसे मूल स्थायी पूंजी निवेश का कम से कम 25 प्रतिशत अतिरिक्त स्थायी पूंजी निवेश किया जाए।
बिन्दु संख्या-6.	योजना का स्वरूप	योजना का स्वरूप
	(1) योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से प्लांट एवं मशीनरी हेतु वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी। (2) उक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, नीटिंग वं गारमेट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रू. 50 लाख होगी।	(1) योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से प्लांट एवं मशीनरी हेतु वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी। (2) उक्त योजना नई तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, नीटिंग वं गारमेट्स निर्माण इकाईयों के लिए अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रू. 50 लाख होगी।
बिन्दु संख्या-7.	योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता	योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता
	(3) इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।	(3) नई तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु मूल शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो।
	(4) यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पश्चात् प्रारूप-क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत	(4) यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पश्चात् प्रारूप-क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो 6 माह से ऊपर के

	<p>किया जाता है तो 6 माह से ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा।</p>	<p>विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा।</p> <p>परन्तु मूल शासनादेश जारी होने की तिथि से इस संशोधन की तिथि के मध्य विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयो को प्रारूप-क पर आवेदन पत्र दिनांक 31/03/2016 तक प्रस्तुत करना होगा। ऐसी विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयो के द्वारा दिनांक 31/03/2016 तक प्रस्तुत किये गये आवेदन विलम्ब से नहीं माने जायेगे।</p>
	<p>(5) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।</p>	<p>(5) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।</p> <p>परन्तु मूल शासनादेश जारी होने की तिथि से इस संशोधन की तिथि के बीच में विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाईयो को इस बीच के उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु आवेदन प्राधिकृत संस्था को दिनांक 31/03/2016 तक प्रस्तुत करना होगा। ऐसी इकाईयो द्वारा दिनांक 31/03/2016 तक प्रस्तुत किये गये आवेदन विलम्ब से नहीं माने जायेगें एवं उन्हें पिछले वित्तीय वर्ष/वर्षों की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य होगा।</p>

4- उक्त शासनादेश संख्या- 1415/77-6-12 -08-(एम)/12टी.सी दिनांक 30.11.2012 के साथ संलग्न नियमावली को इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

भवदीय,

(आसोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या- 1505 (1)/77-6-15-09-(एम)/15, तददिनांक:

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ.प्र., इलाहाबाद।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ.प्र. शासन।
4. प्रमुख सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उ.प्र. शासन।
5. अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।

6. प्रमुख सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उ.प्र. शासन।
7. प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
8. प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ.प्र. शासन।
9. प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ.प्र. शासन।
10. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन।
11. संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
12. संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।
13. औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
14. प्रभारी जोन(तृतीय), उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम, कानपुर।
15. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ.प्र. लखनऊ।
16. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के क्रियान्वयन संबंधी संगत शासनादेश के साथ संलग्न नियमावली में संशोधन की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि योजना की 100 प्रतियाँ मुद्रित कराकर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उ.प्र. को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
17. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6।
18. नियोजन अनुभाग-1।
19. समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
20. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,



(कंचन वर्मा)

विशेष सचिव।

515
9/2/15

PICUP office :
Diariesd 4 21
Date
Sign 09-6-15

संख्या-786 /

5(एम)/14

प्रेषक,

आलोक रंजन,

मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उ0 प्र0 ।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उ0प्र0।
- 4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ :दिनांक 02 जून, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6) के शासनादेश संख्या-1262/77-6-12-8(एम)/12, दिनांक 07.09.2012 द्वारा प्रख्यापित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-5.6 "उपादान योजनायें"- शीर्षक के अन्तर्गत नयी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न उपादान योजनाओं के लाभ अनुमन्य किये गये हैं।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6 में उल्लिखित उपादान योजनाओं के लाभ नयी औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयों को भी अनुमन्य कराये जाने हेतु उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-5.6 में संशोधन के संबंध में शासनादेश संख्या-175/77-6-15-16(एम)/14 दिनांक 10.02.2015 निर्गत किया गया है। तदनुसार पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 1415/77-6-12-08(एम)/12टी.सी. दिनांक 30.11.2012, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1385/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.I दिनांक 30.11.2012 तथा ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना-2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या 1456/77-6-12-08(एम)/12टी.सी.II दिनांक 23.01.2013 अब उक्त सीमा तक संशोधित हो गये हैं।

3- अग्रेतर, उल्लेखनीय है कि तीनों योजनाओं के कार्यान्वयन के संबंध में पृथक-पृथक निर्गत उक्त शासनादेशों के संगत प्रस्तर "योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया" के उप प्रस्तर में यह व्यवस्था की गयी है:-

"इकाई/कम्पनी/सोसाइटी/स्पेशल परपज वैहिकल द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र "प्रारूप-ग" में नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबंधित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।"

इस संबंध में अवगत कराना है कि "प्रारूप-ग" का निर्धारण तत्समय उक्त शासनादेशों के निर्गमन के समय नहीं हो पाया था, इस कारण उक्त शासनादेशों के साथ संलग्नक के रूप में "प्रारूप-ग" वस्तुतः संलग्न नहीं था। अतः शासन द्वारा उक्त तीनों योजनाओं यथा-पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012, अवस्थापना ब्याज उपादान योजना-2012 तथा औद्योगिक गुणवत्ता विकास उपादान योजना-2012 के लिए पृथक-पृथक "प्रारूप-ग" का निर्धारण/प्रारूपण न्याय विभाग के परामर्श से कराये जाने पर सहमति प्रदान की जाती है। इस संबंध में यथाशीघ्र अग्रेतर कार्यवाही की जाए।

4- उक्त शासनादेश संख्या-175/77-6-15-16(एम)/14, दिनांक 10.02.2015 के द्वारा किये गये संशोधन के उपरान्त, नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए भी ब्याज प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा के निर्धारण हेतु उक्त नीति के प्रस्तर-5.6.1 "पूँजीगत ब्याज उपादान योजना" के निम्न अंश को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


प्रस्तर	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
5.6	उपादान योजनाएं	उपादान योजनाएं
5.6.1	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना
	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी।	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी।

केवल नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।	केवल नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/ विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाइयों के लिए अधिकतम 05 वर्ष हेतु प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।
--	--

तदनुसार, पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के संबंध में निर्गत शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी. दिनांक 30-11-2012 (यथासंशोधित) उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाएगा।

5- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(अलोक/रंजन)

मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं
औद्योगिक विकास आयुक्त।


संख्या-786 (1)/77-6-15-16(एम)/14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।
- 3- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 4- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- विशेष सचिव एवं अपर शासकीय हस्तान्तरक न्याय विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1।
- 9- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव एवं समस्त अनुभाग।

- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 1500 प्रतियों मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियों प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ०प्र० शासन।
- 12- नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन।
- 13- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,


(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 786 (1)/77-6-15-16(एम)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से


(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

88
12/11/15

IIPS - 2012

संख्या-175 /77-6-15-16(एम)/14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त संबंधित प्रमुख सचिव/सचिव, उOप्रO शासन।
- 2- समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उO प्रO ।
- 3- आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उOप्रO।
- 4- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, लखनऊ।
- ✓ 5- प्रबन्ध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, गोमतीनगर, लखनऊ।

17/2

12-2-15

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 10 फरवरी, 2015

विषय : उत्तर प्रदेश अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के संशोधन के संबंध में।

महोदय,

औद्योगिक विकास विभाग (अनुभाग-6) के शासनादेश संख्या-1262/77-6-12-8(एम)/12, दिनांक 07.09.2012 द्वारा प्रख्यापित अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके प्रस्तर-5.6 "उपादान योजनाएँ"- शीर्षक के अन्तर्गत नयी औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न उपादान योजनाओं के लाभ अनुमन्य किये गये हैं।

2- अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6 में उल्लिखित उपादान योजनाओं के लाभ नयी औद्योगिक इकाइयों के साथ-साथ विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली इकाइयों को भी अनुमन्य कराये जाने के दृष्टिगत, उक्त नीति के प्रस्तर संख्या-5.6 के निम्न अंश को निम्नवत् संशोधित करने की श्री राज्यपाल महोदय द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है:-


प्रस्तर	वर्तमान नियम	संशोधित नियम
1	2	3
5.6	उपादान योजनाएं	उपादान योजनाएं
5.6.1	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना
	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी। केवल नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण	पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु बैंको/वित्तीय संस्थानों से लिये गये ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी। इसकी अधिकतम सीमा प्रतिवर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी। केवल नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली वस्त्रोद्योग यथा-कताई,

	इकाइयों के लिए प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।	बुनाई, निटिंग एवं गारमेट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रति वर्ष प्रति इकाई पूर्वांचल, मध्यांचल एवं बुन्देलखण्ड में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में रु. 50 लाख होगी।
5.6.2	अवस्थापना ब्याज उपादान योजना प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, जल-निकासी, पावर लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।	अवस्थापना ब्याज उपादान योजना प्रदेश में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को उनके द्वारा उपयोग हेतु अवस्थापना सुविधाओं यथा-सड़क, सीवर, जल-निकासी, पावर लाइन, ट्रान्सफार्मर एवं पॉवर फीडर की स्थापना इत्यादि के विकास हेतु लिये गए ऋण पर देय ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से, अधिकतम 5 वर्ष हेतु प्रति इकाई कुल रु. 1 करोड़ की सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी।
5.6.4	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना प्रदेश में ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों को, जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में जमा किए गए कर्मचारी भविष्य निधि(ई.पी.एफ.) की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के 3 वर्ष बाद, उससे अगले 3 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी।	ई.पी.एफ. प्रतिपूर्ति योजना प्रदेश में ऐसी नई औद्योगिक इकाइयों तथा विस्तारीकरण/विविधीकरण करने वाली औद्योगिक इकाइयों को, जिनके द्वारा 100 या इससे अधिक अकुशल श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा, उनके द्वारा श्रमिकों के पक्ष में जमा किए गए कर्मचारी भविष्य निधि(ई.पी.एफ.) की 50 प्रतिशत धनराशि इकाई स्थापना के 3 वर्ष बाद, उससे अगले 3 वर्षों हेतु प्रतिपूर्ति की जाएगी।

3- उक्त के अतिरिक्त, श्री राज्यपाल महोदय द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 में भविष्य में होने वाले किसी संशोधन के लिए मा. मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4- कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,


(आसोक रंजन)

मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त।


संख्या-175 (1)/77-6-15-16(एम)/14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय), उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2- मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र० शासन।

- 3- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।
- 4- औद्योगिक विकास विभाग के नियंत्रणाधीन समस्त विभागाध्यक्ष/ निगमों के प्रबन्ध निदेशक एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी।
- 5- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6- विशेष सचिव, गोपन अनुभाग-1, उ.प्र. शासन (अशासकीय पत्र संख्या-4/2/2/2015-सी0एक्स0(1) दिनांक 28 जनवरी, 2015 के संदर्भ में)।
- 7- औद्योगिक विकास विभाग के समस्त संयुक्त सचिव, उपसचिव, अनुसचिव एवं समस्त अनुभाग।
- 8- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया इस शासनादेश की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त मण्डलायुक्त एवं जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6, उ0प्र0 शासन।
- 10- नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
- 11- गार्ड फाइल।


आज्ञा से,


(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या- 175 (2)/77-6-15-16(एम)/14 तददिनांक

प्रतिलिपि:- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि कृपया इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार समस्त समाचार-पत्रों में व अन्य प्रचार-माध्यमों से करवाने का कष्ट करें।

आज्ञा से


(कंचन वर्मा)
विशेष सचिव।

प्रेषक,

कौशल राज शर्मा,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ प्रबन्ध निदेशक,
पिकप, पिकप मदन,
गोमती नगर, लखनऊ।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 11 अप्रैल, 2013


विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना- 2012 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-इन्स-10-2/12-13/3628 दिनांक 28, फरवरी, 2013 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1415/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी V दिनांक 30 नवम्बर, 2012 के प्रस्तर- 5(2) के अनुसार प्लांट एवं मशीनरी में रु0 10 करोड़ से अधिक निवेश करने वाली इकाइयों हेतु योजना की परिचालन एजेंसी 'पिकप' होंगी। अतः प्रस्तर-5(2) के अनुसार पिकप को परिचालन एजेंसी अधिकृत करने हेतु सहमति प्रदान की जाती है। तदनुसार अवगत होने का कष्ट करें।

भवदीय,



(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं प्रेषित:-

- 1- संयुक्त अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 2- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या : 1415/77-6-12-08-(एम)/12टी.सी.V

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
सचिव,
उOप्रO शासन।

सेवा में,

- 1- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
- 2- प्रबंध निदेशक, पिकप, पिकप भवन, विभूति खण्ड, लखनऊ।
- 3- प्रबंध निदेशक, उOप्रO वित्तीय निगम, 14/88, सिविल लाइन्स, कानपुर।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 नवम्बर, 2012

विषय: पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 के संबंध में।

महोदय,

पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया योजना में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने एवं पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रतियों समस्त महाप्रबन्धक, जिला उद्योग-केन्द्रों, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को अपने स्तर से वितरित कराने का कष्ट करें।

2- इस योजना के संचालन हेतु पिकप एवं उOप्रO वित्तीय निगम को प्राधिकृत संस्था नामित किया जा रहा है।

3- प्रश्नगत सुविधा का लाभ उठाने के पश्चात संबंधित इकाई भविष्य में बंद न कर दी जाये इस हेतु भी समुचित व्यवस्था अनुबंध पत्र के माध्यम से प्राधिकृत संस्था द्वारा की जायेगी।

4- उपर्युक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय स्वीकृति विधायी स्वीकृति के पश्चात ही निर्गत की जायेगी।

कृपया उक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक यथोक्त।

भवदीय,



(संजय प्रसाद)
सचिव।

संख्या : 1415(1)/77-6-12-08-(एम)/12 टी.सी. V तददिनांक

प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, लेखा परीक्षा प्रथम एवं द्वितीय, उ०प्र०. इलाहाबाद।
- 2- अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन।
- 3- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, 12 सी, माल एवेन्यू, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 5- प्रमुख सचिव, लघु उद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- 6- प्रमुख सचिव, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- 7- प्रमुख सचिव, आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
- 8- प्रमुख सचिव, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, उ०प्र० शासन।
- 9- स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- 10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, ऐशबाग, लखनऊ को पूंजीगत ब्याज उपादान योजना-2012 की प्रति संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि योजना की 1500 प्रतियाँ मुद्रित करा कर औद्योगिक विकास अनुभाग-6 को उपलब्ध कराने एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश तथा समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश को मुद्रित प्रतियाँ प्रेषित करने का कष्ट करें।
- 11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 / वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
- 12- नियोजन अनुभाग-1
- 13- समस्त अधिकारीगण/अनुभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त शाखा।
- 14- गार्ड फाइल।


संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या : 1415(2)/77-6-12-08-(एम)/12 टी.सी. V तददिनांक

प्रतिलिपि निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि कृपया इस योजना का समस्त समाचार पत्रों में व अन्य माध्यमों से समुचित प्रचार-प्रसार करवाने की कृपा करें। योजना की प्रति संलग्न है।

संलग्नक- यथोक्त।

आज्ञा से,

(कौशल राज शर्मा)
विशेष सचिव।

पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012

प्रदेश में पूँजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतव्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृद्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6.1 के अंतर्गत पूँजीगत ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाइयों को शिड्यूल्ड बैंकों/केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना हेतु प्लाण्ट एवं मशीनरी के लिए स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।

उपरोक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 50 लाख होगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि निम्नवत् है:-

1- योजना का शीर्षक	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012
2-योजना की अवधि एवं पात्रता	इस योजना के अंतर्गत वे नई औद्योगिक इकाइयों पात्र होंगी जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। 5 वर्षों की समयवधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।
3-योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र।	यह योजना वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग, गारमेट्स निर्माण इकाइयों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। उपरोक्त से भिन्न उद्योगों के लिए यह योजना बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल क्षेत्र के मण्डलों में लागू होगी।
4-परिभाषाएं	(1) इकाई का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी औद्योगिक इकाई से है, जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का ऋण तथा

वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात किया गया है।

तथा

जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में "सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006" के धारा-8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हो।

अथवा

जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया है।

- (2) "पूर्वांचल" बुन्देलखण्ड तथा मध्यांचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है।
- (3) "पिकप" का तात्पर्य दि. प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है।
- (4) "यू.पी.एफ.सी." का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है।
- (5) "वित्तीय संस्था" से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है।
- (6) "ऋण वितरण की तिथि" का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण धराराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो।
- (7) "वर्ष" का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है।
- (8) "प्लाण्ट एवं मशीनरी" का तात्पर्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंगसेट, बॉयलर, कैस्टिंग पॉवर प्लाण्ट, ड्राईज एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।


5-योजना का परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था	<ol style="list-style-type: none">1. योजना के परिचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम प्राधिकृत संस्था होगी।2. योजना का परिचालन योजना में आच्छादित क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजना में प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश पर रु.10 करोड़ की सीमा तक उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा एवं रु.10 करोड़ से अधिक निवेश होने की दशा में योजना का परिचालन पिकप द्वारा किया जायेगा।
6-योजना का स्वरूप	<ol style="list-style-type: none">(1) योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।(2) उक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, नीटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यांचल में अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रु. 50 लाख होगी।(3) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई द्वारा आवेदन-पत्र संबंधित संस्था यथा-उ.प्र. वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पिकप के मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा।(4) इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होंने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो।(5) उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी :-<ol style="list-style-type: none">1. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।2. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि।

	<p>उपरोक्त ब्याज दर के समतुल्य धनराशि प्रति इकाई प्रति वर्ष इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि पूर्वान्वल, मध्योचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित वस्त्रोद्योग की दशा में रु.1 करोड़, तथा अन्य क्षेत्रों में स्थापित वस्त्रोद्योग एवं पूर्वान्वल, मध्योचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित अन्य उद्योग की दशा में रु.50 लाख से अधिक न हो।</p> <p>(6) उपादान धनराशि का ऑकलन प्लांट एवं मशीनरी हेतु वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि पर 5 प्रतिशत की दर से की जायेगी।</p> <p>उदाहरण-यदि किसी इकाई द्वारा 14 प्रतिशत की दर से प्लांट एवं मशीनरी हेतु वित्तीय संस्था से रु.1करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया हो तो ब्याज उपादान की राशि 5 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार रु.5 लाख होगी।</p>
<p>7-योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित पात्रता की शर्तें पूर्ण की गयी हो। (2) इकाई द्वारा प्रारूप-"क" पर प्राधिकृत संस्था को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। (3) इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा प्लांट एवं मशीनरी हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो। (4) यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पश्चात् प्रारूप-क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो 5 माह से ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से छटा दिया जायेगा। (5) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चात्वर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नहीं होगा।

<p>8-भुगतान-संबंधित उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) योजना-संबंधित लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र "प्रारूप-क" में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ इकाई द्वारा उक्त संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का, वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन-पत्र वॉखित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा इकाई के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा। (3) पिकप में आवेदन पत्र वॉखित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर पिकप मुख्यालय द्वारा इकाई के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा। (4) इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र "प्रारूप-क" में गान-जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबंधित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।
<p>9-भुगतान की प्रक्रिया</p>	<ol style="list-style-type: none"> (1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग उ.प्र. शासन को वार्षिक मॉग प्रेषित की जायेगी। (2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मॉग के आधार पर स्वीकृत ब्याज उपादान की धनराशि शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। (3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। (4) इकाई द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित सन्यावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देखा नहीं होगी परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।

10- ब्याज उपादान योजना के लेखों का रखरखाव	प्राधिकृत संस्था द्वारा ब्याज उपादान की वितरित धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार रखा जायेगा।
11- बजट की व्यवस्था	प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारंभ में औद्योगिक विकास विभाग को अनुमानित मांग प्रेषित करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
12- स्वीकृत ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/ वसूली	निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाईयों को उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को ब्याज उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भौति वसूल किया जायेगा। (1) जब कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मांगी जाए, देने में असफल रहे। (2) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया हो। (3) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन प्रारंभ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थाई रूप से (छ: माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा वैधाय आभदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही दोनों ही अवस्थाओं में इकाई द्वारा संबंधित घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर ही संबंधित प्राधिकृत संस्था को नाम से सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में प्राधिकृत संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा।
13-इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना।	योजनादधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध किया जाना आवश्यक होगा। इकाईयों द्वारा प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
14- व्यय भार	योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध पत्र व अनुबागिक व्यय पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पूंजीगत ब्याज उपादान की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा उपादान धनराशि के वितरण से पूर्व प्राधिकृत संस्था को दिया जायेगा।

15- अन्य	<p>(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पर्डीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलों प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेंगे।</p> <p>(2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा।</p> <p>(3) योजनाभ्रंशगत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा।</p>
----------	--

आज्ञा से,

 (संजय प्रसाद)
 सचिव।

व्याज उपादान योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र

- 1- इकाई का नाम व पता
- 2- इकाई का स्वरूप
(प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कंपनी(प्रा०/लि०/(प्रा०/लि०/इंटरप्राइजेज/पैन नम्बर/टिन नम्बर साक्ष्य सहित प्रपत्र)
- 3- मुख्य प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र के साथ
- 4-दूरभाष, मोबाईल, ई-मेल, वेबसाइट का विवरण
- 5- उद्यम पंजीकरण विवरण - संख्या दिनांक
(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)
- 6- पंजीकृत उत्पाद
- 7- उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि
- 8- वित्तीय संस्था का नाम जहाँ से ऋण प्राप्त किया गया है।
- 9- प्लान्ट एवं मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत ऋण की धनराशि, देय व्याज दर व दिनांक
(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)

10- प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि एवं दिनांक

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रपत्र की प्रति)

11- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से भी वित्त पोषण प्राप्त किया गया है तो उसका संपूर्ण विवरण

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)

12- पूंजीगत ब्याज उपादान स्वीकृति हेतु दावों का विवरण

क्र०सं०	वर्ष जिसके लिए उपादान आवेदित है	वर्ष में वित्तीय संस्था को दिया गया भुगतान, जोकि वित्तीय संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया हो		प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश हेतु ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अवेक्षित ब्याज उपादान
		मूलधन	ब्याज	
1	प्रथम वर्ष ()			
2	द्वितीय वर्ष ()			
3	तृतीय वर्ष ()			
4	चतुर्थ वर्ष ()			
5	पंचम वर्ष ()			
	योग			

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा राज्य सरकार की किसी अन्य योजनागत प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश पर ब्याज उपादान न तो प्राप्त किया गया है, न ही इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य संस्था को आवेदन-पत्र दिया गया है। इकाई के सन्दर्भ में उपरोक्त समस्त विवरण सत्य हैं तथा वितरित ऋण के सन्दर्भ में दी गयी सूचना वित्तीय संस्था द्वारा दिये गये संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार है जिसके आधार पर कुल रु०..... ब्याज उपादान स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा है।

मुख्य प्रवर्तक/अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक - 1

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्योचल
फैजाबाद मण्डल	झांसी मण्डल	कानपुर मण्डल
1 फैजाबाद	1 झांसी	1 कानपुर नगर
2 अम्बेडकरनगर	2 जालौन	2 कानपुर देहात
3 बराबंकी	3 ललितपुर	(रमादाईनगर)
4 सुल्तानपुर	चित्रकूट मण्डल	3 इटावा
5 अमेठी	4 बांदा	4 औरैया
गोरखपुर मण्डल	5 चित्रकूट	5 फर्रुखाबाद
6 गोरखपुर	6 हमीरपुर	6 कन्नौज
7 देवरिया	7 महोबा	लखनऊ मण्डल
8 महाराजगंज		7 लखनऊ
9 कुशीनगर		8 हरदोई
इलाहाबाद मण्डल		9 दाखीमपुर खीरी
10 इलाहाबाद		10 रायबरेली
11 कौशाम्बी		11 सीतापुर
12 फतेहपुर		12 उन्नाव
13 प्रतापगढ़		
वाराणसी मण्डल		
14 वाराणसी		
15 चन्दौली		
16 जौनपुर		
17 गाजीपुर		
मिर्जापुर मण्डल		
18 मिर्जापुर		
19 सन्तरविदासनगर		
(भदोही)		
20 लोनभद्र		
आजमगढ़ मण्डल		
21 आजमगढ़		
22 बलिया		
23 मऊ		
देवीपाटन मण्डल		
24 गोण्डा		
25 बहराइच		
26 बलरामपुर		
27 श्रावस्ती		
बस्ती मण्डल		
28 बस्ती		
29 सन्तकबीरनगर		
30 सिद्धार्थनगर		